

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 126/18

अनवान :

1. श्यामलाल पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. चुन्नीराम पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।

—वादीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।


—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती अर्न्तगत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प महराना में वकीलवादी श्री दलवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 5 MRN के खाता सं० 51/98 मु०न० 8 किला न० 11, 12, 19, 20 मु०न० 9 किला न० 12, 15, 16, 18/2, 19 की कुल 2.100 है० नहरी मय रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिब खातेदारी दर्ज रिकार्ड की जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09 जून 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़